न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
शाखा– किशनगढ, अजमेर (राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी
...............प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मैसर्स वन्दना फुड प्रोडक्ट प्रो0 श्री गोपाल दरगड पुत्र श्री चांदमल दरगड
(अ) खोडा गणेश जी रोड, औघोगिक क्षेत्र, ग्राम दांता आखरी, पोस्ट किशनगढ,
तहसील व जिला अजमेर (राज0)
(ब) 12, माया रेजीडेन्सी, हाउसिंग बोर्ड के पास, ग्राम व पोस्ट किशनगढ,
जिला अजमेर(राज0)
(स) 141/25, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर (राज0)

गारन्टर

(2) श्री प्रहलाद मूंदडा पुत्र श्री गणेशलाल मूंदडा
पताः– प्लॉट नं0 22–ए, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर, तहसील अजमेर, जिला
अजमेर (राज0)

(3) श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री प्रहलाद मूंदडा
पताः– प्लॉट नं0 22–ए, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर, तहसील अजमेर, जिला
अजमेर (राज0)
........अप्रार्थीगण (ऋणी)

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानियाँ अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 07.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स श्री वन्दना फुड प्रोडक्ट प्रो0 श्री गोपाल दरगड पुत्र श्री चांदमल दरगड एवं श्री प्रहलाद मूंदडा पुत्र श्री गणेशलाल मूंदडा, निवासीः– खोडा गणेश जी रोड, औघोगिक क्षेत्र, ग्राम दांता आखरी, पोस्ट किशनगढ, तहसील व जिला अजमेर (राज0) को दिनांक 23.03.2017 को रू 80,00,000/–(अक्षरे अस्सी लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम दांता (आखरी), खोडा गणेश जी रोड, पोस्ट किशनगढ, तहसील व जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 698/1, खाता नं0 22 पर स्थित हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ–मैटेरियल्स एण्ड फूड प्रोडक्टस, वर्क–इन– प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुडस एण्ड फिनिश्ड गुडस, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल्स आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी अर्थात 4 इलैक्ट्रीक मोटर्स (10 एचपी), 12 इलैक्ट्रीक मोटर्स (2 एचपी व 3 एचपी) एलिवेटर बेल्ट, छलनी को शामिल करते हुए 4 आटा चक्कीयां इत्यादि व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर फीचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्टस इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित), जो श्री गोपाल दरगड पुत्र श्री चांदमल दरगढ (प्रो0 मैसर्स श्री वन्दना फूड प्रोडक्ट) की है, जिसके पूर्व में–

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

रास्ता, पश्चिम—श्री बुद्धा रावत की कृषि भूमि, उत्तर —श्री मुकेश छापरवाल एवं श्री सर्वेश्वर की कृषि भूमि, दक्षिण — खसरा नं0 698 का शेष भाग, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 08.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 13.09.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस टर्म लोन ऋण खाते में रूपये 83,36,182/—(अक्षरे तियासी लाख छत्तीस हजार एक सौ बयासी रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम दांता (आखरी), खोडा गणेश जी रोड, पोस्ट किशनगढ, तहसील व जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 698/1, खाता नं0 22 पर स्थित हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ—मैटेरियल्स एण्ड फूड प्रोडक्टस, वर्क—इन—प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुडस एण्ड फिनिश्ड गुडस, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल्स आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी अर्थात 4 इलैक्ट्रीक मोटर्स (10 एचपी), 12 इलैक्ट्रीक मोटर्स (2 एचपी व 3 एचपी) एलिवेटर बेल्ट, छलनी को शामिल करते हुए 4 आटा चक्कीयां इत्यादि व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर फीचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्टस इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित), जो श्री गोपाल दरगड पुत्र श्री चांदमल दरगढ (प्रो0 मैसर्स श्री वन्दना फूड प्रोडक्ट) की है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हरब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।

(जिला मजिस्ट्रेट अजमेर)

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner